[illegible] Dhand
[illegible] Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
Govt. of Chhattisgarh
Department of Labour

D. O. Letter No. 283/PS/L/2010
Raipur, Dated 04/06/2010

विषयः बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रांश राशि आवंटित करने बावत ।

प्रिय अनिल,

छत्तीसगढ़ राज्य के मुक्त हुए 124 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रांश एवं राज्य से प्राप्त 24.80 लाख रुपये की राशि (प्रति श्रमिक रुपये 20,000/– की दर से) संबंधित जिला कलेक्टर्स को आवंटित की गई तथा जिला कलेक्टर्स से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र आपकी ओर प्रेषित किये गये हैं ।

राज्य के शेष 947 अवमुक्त बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रांश रुपये 94.70 लाख राज्य को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इन 586 बंधक श्रमिकों के लिए राज्यांश रुपये 58.60 लाख संबंधित जिलों के कलेक्टर्स को आवंटित की जा चुकी है । केन्द्रांश की राशि प्रति श्रमिक रुपये 10,000/– की दर से राज्य को अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित जिलों को बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु पूर्ण राशि का आवंटन नहीं किया जा सका है ।

अतएव अनुरोध है कि अवमुक्त 947 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्रांश की राशि रुपये 94.70 लाख राज्य को शीघ्र आवंटित करने का कष्ट करें ।

शुभकामनाएं,

भ व दी य,

(विवेक ढाँड)

श्री अनिल स्वरुप,
महानिदेशक,
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली